

**राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा**  
**निर्वाचन सदन प्लाट नं० 2, सैक्टर 17,**  
**पंचकूला।**

**अधिसूचना**

क्रमांक: [रा०नि०आ०/३ई-११/२०१०/७६३७](#)

दिनांक: 03.11.2010

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या [56/2010/रा०दल०अनु०-११](#) दिनांक 17.09.2010 तथा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 33 (2) के साथ पठित हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन निशान (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश संख्या एस०ई०सी०/ई-१११/१९९६/६८१८, दिनांक 15.05.1996 के पैरा-5 की अनुपालना में राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में [पंच/सरपंच/सदस्य](#) पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए, अपनी अधिसूचना क्रमांक [रा०नि०आ०/३ई-१११/२००९/३९०](#) दिनांक 29.10.2009 व [रा०नि०आ०/३ई-१११/२०१०/४२७२](#) दिनांक 16.06.2010 का अधिकरण करते हुये निम्न चुनाव प्रतीकों की सूची प्रकाशित करता है:-

**(चुनाव प्रतीकों की सूची)**

**श्रेणी (क) राष्ट्रीय स्तर के दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक**

क्र०सं०	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बाल और हंसिया
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हंसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
6.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी

**श्रेणी (ख) हरियाणा राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक**

क्र०सं०	राज्यीय दल	आरक्षित प्रतीक
1.	हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी०एल०)	पनिहारिन
2.	इण्डियन नेशनल लोकदल	चश्मा

**श्रेणी (ग) जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक**

क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक	क्र० सं०	चुनाव प्रतीक
1.	गाड़ी	14.	पोत	27.	गैस सिलेंडर
2.	उगता सूरज	15.	हाकी और गेंद	28.	ईंट

3.	पतंग	16.	दो तलवार और एक ढाल	29.	गैस स्टोव
4.	रेडियो	17.	मटका	30.	स्लेट
5.	जीप	18.	अंगूठी	31.	गुलाब का फूल
6.	केतली	19.	बल्ला	32.	गुब्बारा
7.	फावड़ा और बेलचा	20.	फाक	33.	मेज
8.	जग	21.	मोमबत्तियां	34.	गैसबत्ती
9.	वायुयान	22.	सीटी	35.	मोरपंखा
10.	रोड़ रोलर	23.	तितली	36.	कढ़ाई
11.	टेबल पंखा	24.	सेब	37.	हारमोनियम
12.	टेलीफोन	25.	नाव	38.	पीपल का पत्ता
13.	स्कूटर	26.	लेडी पर्स		

**श्रेणी (घ) पंचायत समिति सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक**

1.	ब्लैक बोर्ड	10.	छत का पंखा	19.	हाथ चक्की
2.	दीवार घड़ी	11.	टेलीविजन	20.	डीजल पम्प
3.	बरगद का पेड़	12.	रेल का इंजन	21.	हाथ घड़ी
4.	झोंपड़ी	13.	लेटरबाक्स	22.	बारहसिंगा
5.	तराजू	14.	प्रेसर कुकर	23.	बकरी
6.	फसल काटता हुआ किसान	15.	घोड़ा	24.	बिल्ली
7.	ड्रम	16.	सिंह	25.	गिलहरी
8.	भोंपू	17.	मुर्गा	26.	तोता
9.	अलमारी	18.	ढोलक		

**श्रेणी (ङ) ग्राम पंचायत के सरपंच पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित चुनाव प्रतीक**

1.	साईकिल	9.	घंटी	17.	कलम दवात
2.	कांच का गिलास	10.	टेबल लैम्प	18.	मछली
3.	फलों सहित नारियल का पेड़	11.	स्टूल	19.	कुआ
4.	हस्तचलित पंप	12.	कबूतर	20.	मूली
5.	सिलाई की मशीन	13.	लट्टू	21.	छड़ी
6.	ताला और चाबी	14.	वायलिन	22.	गेहूं की बाली
7.	अनाज बरसाता हुआ किसान	15.	नल	23.	पुल
8.	सब्जियों की टोकरी	16.	बस	24.	केला

**श्रेणी (च) ग्राम पंचायत के पंच पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित चुनाव प्रतीक**

1.	सीढ़ी	6.	कैंची	11.	किताब
2.	फावड़ा	7.	कुर्सी	12.	आम
3.	बाल्टी	8.	छाता	13.	चाबी
4.	हल	9.	दो पत्तियां	14.	चारपाई
5.	कुल्हाड़ी	10.	बिजली का बल्ब	15.	दरवाजा

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा यह भी निर्देश देता है कि श्रेणी (क) तथा (ख) में दर्शाए गए सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों के आरक्षित चुनाव प्रतीक केवल सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों को अलाट किये जायें जिन्हें सम्बन्धित राजनैतिक दल द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो।

आदेश द्वारा,

दिनांक: पंचकूला  
02 नवम्बर, 2010

सचिव  
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

पृ० क्रमांक रा०नि०आ०/३ई-११/२०१०/७६३८

दिनांक: 03.11.2010

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
2. आयुक्त मण्डल, अम्बाला, रोहतक, हिसार तथा गुड़गांव।
3. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य।
5. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
6. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
7. सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दल।

हस्ता/-

(परमाल सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

पृ० क्रमांक रा०नि०आ०/३ई-११/२०१०/७६३९

दिनांक: 03.11.2010

एक प्रति नियंत्रण मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रतीकों की छपाई (impression) स्पष्ट हो।

2. उनसे यह यह भी अनुरोध किया जाता है कि अधिसूचना की 20 प्रतियां पृष्ठांकन सहित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला को सूचनार्थ तथा प्रमाणित हेतु भेजी जाये।

हस्ता/-

(परमाल सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा